

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कदाचार के मामलों में संवैधानिक उपाय

हेमलता कुम्पावत

° एसोसिएट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

स.पृ.चौ.रा. महाविद्यालय अजमेर

शोध सार

लोकतंत्र का तीसरा स्तम्भ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, न्यायाधीशों का मर्यादित आचरण जनमानस के पटल को प्रभावित करता है। न्यायाधीश भी कानून के शासन के अधीन है। न्यायाधीश नियुक्ति के समय संविधान के प्रति श्रद्धा एवं भारत की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने की शपथ लेता है किन्तु वही न्यायाधीश जब कदाचार एवं असमर्थता के आरोपों से घिर जाता है तो उनको पद से हटाने हेतु भी संविधान में प्रावधान किये गये हैं। अनुच्छेद 124 (4) (5) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एवं अनुच्छेद 217 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। एवं न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968 द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

संकेताक्षर – महाभियोग, कदाचार, असमर्थता, सर्वोच्च न्यायालय

प्रस्तावना –

भारतीय संविधान के भाग-पांच के अध्याय-चार में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से सम्बन्धित प्रावधान दिए गए हैं। न्यायाधीश का पद एक संवैधानिक पद है, इनका चयन और नियुक्ति संवैधानिक निकायों द्वारा की जाती है। इन्हें हटाने की प्रक्रिया एक लम्बी और कठोर होती है। इस हेतु तीन सदस्यीय कमेटी का गठन, प्रस्ताव पारित होने के पश्चात किया जाता है। यह जाँच समिति न तो राजनीति से प्रभावित होती है और न ही यह ज्यूडिशियल ही कही जा सकती है। यह

अर्द्धन्यायिक प्रकार की होती है। और यह प्राकृतिक सिद्धान्तों के आधार पर अपनी जाँच की कार्यवाही करती है। संक्षेप में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं महाभियोग की प्रक्रिया इस प्रकार है –

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति :- अनुच्छेद 124 (2) संविधान के भाग-पांच के अध्याय-चार में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से सम्बन्धित प्रावधान दिये गए हैं। इनका चयन और नियुक्ति उच्चतम न्यायालय अथवा संवैधानिक निकायों द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के अन्तर्गत की जाती है। अनुच्छेद 124 (3) के अनुसार न्यायाधीश पद पर चयन की अर्हताएं दी गई हैं एवं अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के गठन एवं नियुक्तियों और उन्हें हटाने की कार्यवाही भी संविधान के भाग-5 में दी गई है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

न्यायाधीशों द्वारा शपथ लेना :- अनुच्छेद 124 (6) उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत संविधान के प्रति श्रद्धा एवं विष्वास रखने, एवं अपनी योग्यता एवं विवेक के आधार पर कार्य करने की शपथ लेता है। संविधान के अनुच्छेद 124 (6) के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश एवं अनुच्छेद 219 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेता है।

न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया :- हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि न्यायाधीशों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उस पर जन-आस्था बनी रहे सामान्य कर्मचारी यदि रिष्वत अथवा भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है फिर न्यायाधीश के तो साधारण सा कदाचार भी क्षमा योग्य नहीं हो सकता है क्योंकि न्यायाधीश का पद गरिमा मय है किसी भी देश की जनता किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती है जो कि कदाचार वित्तीय अनियमितता अथवा असमर्थता के आरोप से ग्रसित हो। न्यायाधीश के ऐसा होने पर उन्हें पदच्युत करने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जाती है।

महाभियोग का आधार सिद्ध कदाचार (Proved Misbehaviour) और असमर्थता (Incapacity) :- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश के अतिरिक्त उनको किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा यह आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा

तभी दिया जाएगा। जिसमें संसद के कुल सदस्यों की बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। और कदाचार एवं असमर्थता सिद्ध हो गई हो।

संसद में प्रस्ताव रखना :— न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया हेतु सर्वप्रथम महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जाता है। इस प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्य सभा के 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव रखना आवश्यक है।

लोकसभाध्यक्ष की स्वीकृति :— न्यायाधीश के विरुद्ध कदाचार व असमर्थता का प्रस्ताव लाने पर यह लोक सभाध्यक्ष की स्वीकृति हेतु रखा जाता है जिसे वह या तो स्वीकृति प्रदान कर सकता है अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

जाँच समिति :— सम्बन्धित न्यायाधीश के विरुद्ध जब यह प्रस्ताव लाया जाता है तब जाँच समिति का गठन किया जाता है, जो 3 सदस्यीय होती है जिसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं एक विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। जाँच समिति न्यायाधीशों पर लगे कदाचार एवं असमर्थता के आरोपों की जाँच करती है एवं सम्बन्धित न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार प्रदान करती है।

जाँच समिति की रिपोर्ट :— जब जाँच समिति सम्बन्धित न्यायाधीश के विरुद्ध जाँच पूरी कर लेती है तो उसके अन्तिम परिणाम को देखती है, यदि जाँच में न्यायाधीश पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो जाँच प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और यदि इस पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो संसद में इस प्रस्ताव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है।

संसद में मतदान :— दोनों सदनों में न्यायाधीश के विरुद्ध जाँच का प्रस्ताव पारित होना चाहिये। इस हेतु दोनों सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है एवं यह प्रस्ताव उपस्थित एवं मतदान करने वालों का यदि दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सम्बन्धित न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। न्यायाधीशों पर वित्तीय अनियमितता एवं कदाचार और असमर्थता के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया से सम्बन्धित कुछ उदाहरण इस प्रकार है —

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की घटना के पश्चात् बड़ी मात्रा में जले हुए नोट बरामद हुए जिनके स्रोत की जानकारी उन्होंने नहीं दी। इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन पर 2011 में सरकारी फंड के दुरुपयोग

एवं गलत तथ्य पेश करने के आरोप में उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया का सामना करना पड़ा और ऐसा करने वाले वे भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। इसी प्रकार न्यायमूर्ति पी. डी. दिनाकरण का मामला भी न्यायिक भ्रष्टाचार एवं महाभियोग की कार्यवाही से सम्बन्धित है किन्तु सौमित्र सेन की भांति उन्होंने भी महाभियोग की कार्यवाही के प्रारम्भ होने से पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया। इनके अतिरिक्त न्यायमूर्ति एस. के. गंगोले, न्यायमूर्ति सी. वी. नागार्जुन एवं अन्य न्यायाधीशों पर भी इस प्रकार के आरोप लग चुके हैं।

यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। यहाँ तक कि ये न्यायाधीश किसी अन्य न्यायाधीश के अधीनस्थ नहीं होते हैं। अतः इनकी जाँच करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं है किन्तु उनका कर्तव्य है कि वह न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखे। उपर्युक्त संवैधानिक कमी को देखते हुए इन हाउस प्रक्रिया को अपनाया गया है।

न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा को हटाने हेतु सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा इससे पूर्व न्यायमूर्ति रामास्वामी (1993), सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट 2011, जस्टिस पी. डी. दिनाकरण 2011 एवं जस्टिस के. सी. सौमेया आदि न्यायमूर्तियों को कदाचार, असमर्थता वित्तीय कदाचार आदि आरोपों के कारण महाभियोग का सामना करना पड़ा किन्तु जवाबदेही से पहले अथवा आरोपों के सिद्ध होने के पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

निष्कर्ष –

हमारे न्यायाधीश देवतुल्य हैं, सन्त जैसे हैं आचरण की पवित्रता ही उन्हें न्यायाधीश बनाती है। अतः उनके लिये तो साधारण कदाचार (भ्रष्टाचार) भी क्षम्य नहीं है। जज का पद गरिमा का है। देश की जनता एवं संविधान कदाचार एवं असमर्थता के आरोप सिद्ध होने पर उस न्यायाधीश को स्वीकार नहीं करेगा, यदि वह भ्रष्ट हो। देश ने कभी भी आचारहीन भ्रष्ट व्यक्ति को अपना शासक नहीं माना। अतः साधारण कदाचार करने वाला न्यायाधीश, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने की योग्यता गंवा देता है। उसे सेवा से हटाना ही उचित है। जिसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है।

संदर्भ सूची –

1. बसु, डी.डी. (1994) : ह्यूमन राइट्स इन कॉन्स्टीट्यूशनल ला, वाधवा एवं एण्ड कम्पनी प्रकाशन, पृ.सं. 5
2. द राफेल (1967) : ह्यूमन राइट्स ओल्ड एण्ड न्यू पोलिटिकल थ्योरी एण्ड राइट्स ऑ पेन, पृ.सं. 54
3. लक्ष्मीकान्त (2023) : कॉन्स्टीट्यूशनल गर्वरनेन्स इन इण्डिया एम.सी. ग्री हिल एज्यूकेषन इण्डिया
4. भारतीय संविधान आर्टिकल 124, 4 एवं 125, 5
5. जजेस इनक्वायरी एक्ट 1968, प्रकाशन गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट
6. सुभाष कश्यप (2019) : आवर कॉन्स्टीट्यूशन, प्रकाशक नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया
7. जे.एन. पाण्डेय (2022) : कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इण्डिया, प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी